GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No. 99/TG.I/20/P New Delhi, dated 3 .06.2002.

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 39 of 2002)

Sub : Facility for change of name, sex and age on reserved tickets – procedure to prevent misuse of "Passengers(Change of Name) Rule 1990 & 1997.

As per extant instructions a berth/seat reserved in the name of any person has to be used only by that person and is not transferable to any other person except under the conditions mentioned in Passengers Change of names Rules, 1990 and subsequent amendments made in these rules. It has come to the notice of Ministry of Railways that the provision of Passenger Change of names Rules, 1990 are some times being misused .

2. The facility for change of name of passengers is permitted in five conditions i.e.

(i) Government servant proceeding on dutly.

(ii) Family member

(iii) Students of a recognized government institution

(iv) Cadet of NCC

(v) Marriage party.

In case of type of passengers mentioned in item No. (i), (iii), (iv) & (v), the authority from whom the request for change of name is to be accepted has been specified whereas the same in case of family member has not been specified. Hence, the chances of misuse of this facility are maximum in the passengers covered in the item (ii). Accordingly, the matter has been reviewed in the Ministry of Railways and it has been decided that in order to extend the facility of changing name, sex and age of the passengers who have genuine difficulty, but at the same time to prevent its misuse, the following procedure may be adopted by all Zonal Railways:-

1. Where the passenger makes a request that the reservation made in his name be transferred to another member of his family, permission for change of name, sex, age can be granted only by a Gazetted officer on the production of requisite proof viz. Ration card ,Driving licence, Voter Identity Card, Passport, an affidavit showing relationship with the family members duly attested by the notary etc. While on the Divisions, such permission can be given by Sr. DCM/DCM/ACM, at other locations where Area Managers have been posted, such permission can be granted by respective ARMs/Assistant ARMs as well as SM(Gaz.). At those locations where no Gazetted Officer has been posted, such permission can be granted by CRS/SM

-2/-

provided that post-facto approval of the same should be obtained from the competent authority at the first available opportunity.

2. On receipt of applications from any passenger for change of name, sex, age as provided in Passengers(Change of name) rules, 1990, the staff of reservation office who has the ID should get formal permission from any authorised Gazetted Officer either in writing or on telephone. Complete record of such permission given should be kept in a register along with application of the party and other details for verification . Such records should be preserved for a period of at least six months. Only after receipt of such permission, the staff concerned will use his ID for change of name, sex, age of the passengers.

3. Commercial Officers of Headquarters as well as Divisions will check these registers in course of their inspection of the Reservation Office. CCM(PM)s office will generate a report of all such changes done at each locations, on daily basis to keep a watch on it. The monthly report in this respect will be forwarded to the respective Divisions who will cross check the report with records maintained at the field level. In case of any irregularity found at test check, stern action should be taken against the staff concerned who misuse this facility.

Necessary instructions may be issued to all concerned and receipt of this letter may be acknowledged.

(Dr. P.K. Goel)
Executive Director, Passenger Marketing,
Railway Board.

Copy to:

1. CCM(PS)s & CCM(PM)s of all Zonal Railways.
2. OSDs/East Coast Railway, Bhubaneswar, East Central Railway, Hajipur, North Central Railway, Allahabad, North western Railway, Jaipur, South Western Railway, Bangalore, West Central Railway, Jabalpur. OSD/Bilaspur.
3. EDV(T), DPR, EDFC & V(SS), Railway Board.
4. Director/PRS, CRIS, Chanakayapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Comml., Railway Staff College, Vadodara.
6. The Managing Director, Mumbai Railway Vikas Corporation, 2nd Floor, Churchgate Station Building, Mumbai – 400020.
7. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen(NFIR), 3 Chelmsford Road, New Delhi.
8. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
9. Secretary General, Federation of Railway Officers Association(FROA), Room No. 265-A, Rail Bhavan, New Delhi.
10. Secretary General, Indian Railway Promotee Officer Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi.
11. General Secretary, All India RPF, Association, Room No. 256-D Rail Bhavan, New Delhi.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 99/टी जी-i/20/पी नई दिल्ली, दिनांक 3-6-02

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2002 का वाणिज्य परिपत्र सं. 39)

विषय :- आरक्षित टिकटों पर नाम, लिंग तथा आयु में परिवर्तन संबंधी सुविधा - "यात्री (नाम परिवर्तन) नियम 1990 एवं 1997 के दुरूपयोग रोकने के लिए कार्यविधि"

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम से आरक्षित शायिका/सीट का उपयोग उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और यह किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरणीय नहीं है सिवाय यात्री नाम परिवर्तन नियम, 1990 और तदुपरांत इन नियमों में किए गए परिवर्तनों में उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत अनुमेय परिवर्तनों के. रेल मंत्रालय के नोटिस में यह आया है कि यात्री नाम परिवर्तन नियम, 1990 के प्रावधान का कई बार दुरूपयोग किया जा रहा है :-

2. यात्री के नाम में परिवर्तन करने की सुविधा की अनुमति निम्नलिखित पांच परिस्थितियों में दी गई है :-

(i) ड्यूटी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी
(ii) परिजन
(iii) मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों के विद्यार्थी
(iv) राष्ट्रीय सेवा कोर के कैडेट
(v) विवाह पार्टी

मद सं. (i), (iii), (iv) तथा (v) में उल्लिखित यात्रियों के मामले में जिस प्राधिकारी से नाम में परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार किया जाना है उसका उल्लेख किया गया है जबकि परिजनों के मामले में इसका उल्लेख नहीं किया

Sadh. B.

-2/-

गया है इसलिए मद सं. (ii) में शामिल किए गए यात्रियों के मामले में इस सुविधा के दुरूपयोग के अवसर अधिकतम हैं. तदनुसार, इस मामले की रेल मंत्रालय में समीक्षा की गई है कि नाम, लिंग और आयु में परिवर्तन करने की इस सुविधा को उन यात्रियों तक पहुंचाने जो वास्तव में ही कठिनाई का सामना करते हैं और साथ ही साथ इसके दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाए :-

1. जब किसी यात्री द्वारा यह अनुरोध किया जाए कि उसके नाम से किया गया आरक्षण उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम अंतरित कर दिया जाए तो अपेक्षित साक्ष्य यथा राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र, पास पोर्ट, नोटरी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित परिजन के साथ संबंध दर्शाने वाला शपथ-पत्र आदि प्रस्तुत करने पर केवल किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा ही नाम, लिंग और आयु में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जबकि मंडलों पर ऐसी अनुमति वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/मंडल वाणिज्य प्रबंधक/सहायक वाणिज्य प्रबंधक द्वारा दी जा सकती है. ऐसे स्थानों पर, जहां क्षेत्रीय प्रबंधक तैनात किए गए हैं, ऐसी अनुमति केवल संबंधित क्षेत्रीय आरक्षण प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय आरक्षण प्रबंधक तथा स्टेशन मास्टर (राजपत्रित) द्वारा प्रदान की जा सकती है. जिन स्थानों पर राजपत्रित अधिकारी तैनात नहीं किया गया है वहां ऐसी अनुमति मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक/स्टेशन मास्टर द्वारा इस शर्त पर प्रदान की जा सकती है कि इसके लिए पहले उपलब्ध अवसर पर ही सक्षम प्राधिकारी का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा.

2. नाम, लिंग तथा आयु में परिवर्तन करने के संबंध में किसी यात्री से आवेदन प्राप्त होने पर, जैसा कि यात्री (नाम परिवर्तन) नियम, 1990 में प्रावधान है, आरक्षण कार्यालय का वह कर्मचारी जिसके पास आई डी है, किसी प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी से लिखित में या टेलीफोन पर औपचारिक अनुमति प्राप्त करेगा. दी गई ऐसी अनुमति के पूरे रिकॉर्ड पार्टी के आवेदन तथा सत्यापन संबंधी अन्य ब्योरों के साथ-साथ, एक रजिस्टर में रखेगा. ऐसे रिकॉर्ड कम से कम छ: महीनों की अवधि के लिए संरक्षित रखे जाएं. ऐसी अनुमति प्राप्त होने के बाद ही संबंधित कर्मचारी यात्री के नाम, लिंग और आयु में परिवर्तन करने के लिए अपनी आई डी का उपयोग करेगा.

3. मुख्यालयों तथा मंडलों के वाणिज्यिक अधिकारी, आरक्षण कार्यालयों का निरीक्षण करते समय इन रजिस्टरों की जांच करेंगे. इन पर नज़र रखने के लिए मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन) कार्यालय प्रत्येक स्थान पर किए गए

Sadh. B. -3/-

ऐसे परिवर्तनों के संबंध में दैनिक आधार पर एक रिपोर्ट बनाएगा. इस संबंध में मासिक रिपोर्ट संबंधित मंडलों को अग्रेषित की जाएगी जो फील्ड स्तर पर रखे रिकॉर्डों से इनकी क्रॉस जांच करेंगे. यदि जांच स्तर पर कोई अनियमितता पाई गई संबंधित कर्मचारी, जिसने इस सुविधा का दुरूपयोग किया है, के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कृपया सर्व-संबंधित को आवश्यक अनुदेश जारी करें और इस पत्र की पावती दें.

(डॉ. पी. के. गोयल)
कार्यपालक निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड.

Sadh. B.